न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 153/2017
उनवानी प्रकरण :–

1. रंजीत / पुत्रगण साहब सिंह जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम पिदावली
2. राजबहादुर / तहसील बाडी जिला धौलपुर ———— अपीलार्थीगण।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.02.2017 नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 85/2017 उनवानी राज0 सरकार बनाम रंजीत,राजबहादुर अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री किरोरी लाल जाटव अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–29.12.2017

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 13.02.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश विधि के प्रावधानो के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव पटवारी हल्का के बयान के आधार पर अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो समुचित जांच कराई गई और ना ही मौके पर जाकर देखा गया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 323 रकवा 46.09 वीघा में से 2.00 वीघा जमीन पर कब्जा कर अतिचार किया गया अथवा नही। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का का बयान व मौके की रिपोर्ट जालसाजी तरीके से तैयार कर मौके की रिपोर्ट व बयान जाल साजी का परिणाम रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रारूप–3 में सूचना पत्र जारी किया गया उसकी अपीलार्थीगण पर प्रोपर तामील नही हुई। तामील कुनिन्दा द्वारा जो रिपोर्ट अंकित की गई है वह पटवारी हल्का से मिलकर पेश की गई है। जिस भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण का कब्जा एंव अतिचार होना मौका रिपोर्ट एंव बयान में अंकित किया है पूरी तरह से अवैध एंव शून्य है क्योकिं अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर ना तो कभी कब्जा रहा है और ना ही कोई सरसों की फसल बोई है। अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है। इन सभी तथ्यो को नजरअंदात कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर आदेश पारित

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

किया है। जो काबिल खारिज एंव अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की कोई जानकारी नही रही। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधि0 पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश दिनांक 13.02.17 एंव रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थीगण अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से नोटिस की तामील अपीलार्थीगण पर नही कराई है और ना ही साक्ष्य एंव सुनवाई एंव जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय है जो अपीलार्थीगण पर किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को पुलिस व पटवारी हल्का से प्राप्त हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नही की है। धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.17 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलार्थीगण पर हुई है। नोटिस तामील पर हस्ताक्षर है। अतः का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलार्थीगण पर नोटिस की तामील नही हुई है। अपीलार्थीगण जानबूझकर बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अपीलान्ट द्वारा फसल नीलामी कार्यवाही में भाग लिया है। फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। जिसकी अंतिम बोली अपीलान्ट द्वारा लगाई है। अतः अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह कथन सही नही है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही रही। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा आराजी पर फसल सरसो बोकर अतिक्रमण किया गया है।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर